# कामकाजी महिला

र्ष 7 अंक 1 जून 1994 मूल्य : 2 रुपये

## अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस अमर रहे !
## नेल्सन मंडेला अमर रहें !!

न मंडला अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए

नेल्सन मंडेला की पुत्री जिंजी मंडेला अपने पिता का संदेश देते हुए

# अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की शानदार सफलता

दक्षिणी अफ्रीका के हजारों-लाखों अश्वेत लोगों ने पहली बार अपने देश की राष्ट्रीय असेंबली के 400 सदस्यों तथा सीनेट के 90 सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान किया। जनता के लिए यह नये युग का शुभारम्भ था। वास्तव में पहली बार मतदान करना इन लोगों का चिर स्वप्न ही था, किन्तु यह स्वप्न उनके जीवन काल में ही साकार हो जाएगा, यह देख कर वे फूले नहीं समा रहे थे। इन्हीं विचारों के प्रभाव तले वे मतदान करने जा रहे थे। अब तक उनके यहां जितने भी चुनाव हुए थे, सभी 'श्वेत' लोगों के लिये ही तो हुए थे। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों को तो मनुष्य मात्र ही नहीं माना जाता था। वे गंदे क्षेत्रों में रहते थे, उनकी बस्तियां अलग होती थीं, उनके लिये खान-पान गृह अलग होते थे, बसों तथा पाठशालाओं की बात ही छोड़िये। वे अश्वेत थे और सर्वोच्च तो श्वेत लोग ही थे।

अत: जब उन्हें बताया गया कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था। आखिर वे विश्वास करते भी तो कैसे करते! किन्तु अन्तत: वह समय आ ही गया। शताब्दियों के पश्चात् दो करोड़ 30 लाख लोगों ने 28-30 अप्रैल को तीन दिनों तक मतदान किया। मतदान के लिये स्थाही, कागज, तथा मत पेटियों जैसी अत्यावश्यक सामग्री की व्यवस्था तक नहीं की गई थी। इस पर मतदान के मध्य बम विस्फोट होते रहे, मतदान के लिये पंक्तियों में खड़े लोगों की हत्याएं की गई, उन्हें चार से पांच घंटे तक अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ी, चिलचिलाती धूप में खड़े रहना पड़ा, अनेक लोग तो मारे गर्मी से मूर्छित हो गए और पसीने से तर-बतर होते रहे। इतनी सारी विघ्न बाधाओं को सहन करके भी उन्होंने मतदान किया। यह इसका अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि किसी और देश में ऐसी स्थिति रही होती तो वहां दंगे हो गए होते। लोग विद्रोह करके मतदान किये बिना ही घरों को वापस चले गए होते। किन्तु यहां तो बात ही अलग थी। वृद्ध और क्षीणकाय व्यक्ति लोकतंत्र के लिये मतदान करना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका की जनता के लिये तो यह एक अमूल्य धरोहर थी जिससे वे शताब्दियों से वंचित रहे थे। दक्षिण अफ्रीका की जनता के महान नेता तथा अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नेलसन मंडेला ने ठीक ही तो कहा है: ''यह हमारे लोकतंत्र की सुप्रभात

*[पेज 16 पर]*

## इस अंक में


अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की शानदार सफलता 2

चीन में कामकाजी महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार मिले हैं-सियाओमी 3

जनवादी महिला समिति द्वारा हरियाणा सरकार के विधेयक की तीव्र भर्त्सना 5

राजस्थान में आंगनवाड़ी महिलाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल 6

राजस्थान के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल 7

बीड़ी मजदूरों के लिए कानून तो बहुत हैं पर उन्हें लागू नहीं किया जाता! 8

शोलापुर के 45हजार बीड़ी मजदूरों को वर्षों लंबे संघर्ष के बाद न्याय मिला 9

आंध्र प्रदेश बीड़ी मजदूरों की कार्यशाला 10

चीन में विश्व महिला कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से जारी 11

उनकी बला से 13

जापान में कामकाजी महिलाओं के साथ भेदभाव की दास्तान 14


सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 15, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं. 3714071) सम्पादित और प्रकाशित प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित।

# चीन में कामकाजी महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार मिले हैं...सियाओमी

□ के हेमलता तथा प्रसन्न कुमारी

ट्रेड यूनियनों की अखिल चीनी फेडरेशन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क विभाग की निदेशिका कामरेड सिया सियाओमी ने पटना में आयोजित सी आई टी यू के आठवें महाधिवेशन में भ्रातृ प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था।

'कामकाजी महिला' की ओर से हमें उनके साथ बातचीत करने का सुअवसर मिला। कामरेड सियाओमी भी हमसे बातचीत करके भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्न हुई।

उनके साथ हमारी निम्न प्रश्नों पर बातचीत हुई:

**प्रश्न : आप कब से पूर्ण कालिक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं?**

**सियाओमी :** पिछले सात वर्षों से मैं पूर्णकालिक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। इसके पूर्व मैं एक इलेक्ट्रानिक फैक्टरी में काम करती थी; मशीनों की असेंबलिंग करती थी। मैं फैक्टरी के वर्किंग ग्रुप की प्रमुख थी। तत्पश्चात् मुझे पदोन्नति मिली और फैक्टरी की निदेशिका बना दिया गया।

**प्रश्न : एक साधारण श्रमिक से पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने तक का सफर कैसा रहा और चीन में यह कैसे सम्पन्न होता है?**

**सियाओमी :** चीन में अधिकांश ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता पूर्णकालिक हैं। ट्रेड यूनियनों के प्राय: लगभग सभी कार्यकर्ता कभी श्रमिक रहे हैं। पहले उन्हें ट्रेड यूनियन कामों का प्रशिक्षण दिया जाता है और बाद में उनकी पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में पदोन्नति कर दी जाती है।

**प्रश्न : चीन में कामकाजी महिलाओं की स्थिति कैसी है? क्या वह वेतन या पदोन्नतियों के मामले में उनके साथ भेदभाव होता है?**

**सियाओमी :** चीन में 5 करोड़ 80 लाख कामकाजी महिलाएं हैं। श्रमिकों की कुल संख्या का 38 प्रतिशत हैं। इनमें से तीन करोड़ 90 लाख महिलाएं ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता हैं। जो ट्रेड यूनियनों की कुल सदस्य संख्या का 37 प्रतिशत हैं। लगभग 1060 महिलाएं ट्रेड यूनियनों में विभिन्न स्तरों पर नेतृत्वकारी स्थितियों में काम कर रही हैं। वे फैक्टरी स्तर तथा परिषद स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं। ट्रेड यूनियनों की अखिल चीनी फेडरेशन की उपाध्यक्ष एक महिला ही तो है।

चीन में महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। चीन के संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिये गए हैं और व्यवहारिक दृष्टि से भी महिलाएं सभी स्तरों पर पुरुषों के समान व्यवहार पा रही हैं। उदाहरणार्थ, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का अनुपात 11-3 वर्ष है जबकि उनकी अपेक्षा पुरुषों का अनुपात 11-5 प्रतिशत है। महिलाओं को समान वेतन तथा पदोन्नतियों के समान अवसर प्रदान किये जाते हैं।

1949 की क्रांति से पूर्व महिलाओं का सामाजिक दर्जा बहुत नीचा था किन्तु क्रांति के पश्चात् उनके सामाजिक दर्जे में परिवर्तन हुआ है। अधिकांश महिलाएं रसोई घर को तिलांजलि देकर समाज के अन्य कामों में लग गई हैं। अब महिलाएं समाज की प्रमुख सदस्याएं हैं, वे सर्जक हैं! जैसा कि कामरेड माओ ने कहा है, ''महिलाएं आधे आकाश की स्वामिनी हैं।''

**प्रश्न : वे कौन से क्षेत्र हैं, जहां महिलाएं काम करती हैं?**

**सियाओमी :** महिलाएं स्वास्थ्य, अस्पताल, खेल, सामाजिक सुरक्षा, स्कूलों; उद्योगों, कृषि धंधों तथा सेवाओं के क्षेत्र में काम करती हैं। केवल कुछ उद्योगों के अतिरिक्त जहां उनके लिये काम करना कठिन है, महिलाएं सभी स्थानों पर काम करती हैं। अनेक महिलाएं बरिष्ठ अधिकारियों, इंजीनियरों इत्यादि के रूप में काम करती हैं। चीन में बहुत महिलाएं मंत्री हैं।

**प्रश्न : कामकाजी महिलाओं के प्रसूति लाभ, शिशु पालन गृह अन्य सुविधाओं के मामले में चीन में कैसी स्थिति है?**

**सियाओमी :** चीन में महिलाओं को छह महीनों का सवैतनिक प्रसूति अवकाश दिया जाता है। यदि किसी कारणवश महिला उस अवधि में भी काम करना चाहे तो उसके पति को वही अवकाश

दिया जाता है ताकि वह अपने बच्चों की देखभाल कर सके, अधिकांश फैक्टरियों में कामकाजी महिलाओं के लिये बाल विहारों या नर्सरियों की व्यवस्था की गई है। गर्भवती, बच्चों को स्तनपान कराने तथा माहवारी अवधि में कामकाजी महिलाओं को विशेष सामाजिक लाभ दिये जाते हैं। उन्हें उस अवधि में भारी काम करने नहीं दिया जाता।

**प्रश्न : क्या पति अपनी कामकाजी पत्नियों की घर के कामों में सहायता करते हैं?**

**सियाओमी :** चीन में भी घर की देखभाल करने की वही जिम्मेदारी महिलाओं को ही निभानी पड़ती है। किन्तु अब स्थिति बदलती जा रही है।

अनेक पति घर के कामों में अपनी पत्नियों का हाथ बंटाते हैं। जहां कहीं भी वे इसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं या माता एवं पिता में से किसी एक को बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, वे सहर्ष एक दूसरे की सहायता करते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण कामकाजी महिलाओं के कार्यभार में कमी आई है।

**प्रश्न : चीनी महिलाएं लड़के या लड़की में किसे चाहती हैं?**

**सियाओमी :** युवा पीढ़ी विशेषकर शहरी दंपत्ति लड़की लड़के में मतभेद नहीं करते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ही ऐसा है जहां लड़कों को चाहा जाता है। वहां अभी भी पुराने विचारों के लोग हैं। ये लोग केवल बेटे की ही कामना करते हैं। हम विचारों की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। उनमें धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है।

**प्रश्न : कामकाजी महिलाओं के प्रति ट्रेड यूनियनों का क्या रुख है? कया महिलाओं के नेतृत्वकारी पदों पर पदोन्नत किया गया है?**

**सियाओमी :** चीन की ट्रेड यूनियनें महिलाओं को बहुत महत्व देती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग और महिलाओं सम्बन्धी मामलों का विभाग है। चीन में ट्रेड यूनियनें महिलाओं के विशेष हितों के लिए काम करती हैं। हाल में कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए दो कानून बनाये गए हैं। ट्रेड यूनियनों को महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए कानून व नियमों में सुधार करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि कई महिलाएं जिम्मेदारी वाले पदों पर नियुक्त की गई हैं।

**प्रश्न : चीनी युवा पीढ़ी की कामकाजी महिलाओं का समाजवाद के बारे में क्या विचार है?**

**सियाओमी :** चीन की युवा महिलाओं में अपने सामाजिक दर्जे के संबंध में बहुत चेतना है। देश की सरकार और ट्रेड यूनियनें उन्हें शिक्षित बनाती हैं। यह सब उन्हें समाजवाद के कारण ही मिल पाया है। वे इसे अच्छी तरह समझती हैं। वे समाजवाद तथा समूहवाद की शिक्षा कार्यों में हाथ बंटाती हैं। और अपनी चेतना को जागृत करती हैं।

**प्रश्न : "सुधारों" का वहां क्या प्रभाव पड़ा है? क्या उनसे उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिला है? क्या चीन में विदेशी संस्कृति अपना प्रभाव डाल रही है ? क्या इसका समाजवाद पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा?**

**सियाओमी :** सुधारों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ है। उसका उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। इसलिए हाल ही में 1.3.94 से चीन में कार्य के घंटे घटाकर 48 घंटे प्रति सप्ताह की बजाय 44 घंटे प्रति सप्ताह कर दिए गए हैं।

हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा मेहनत करें और सादा जीवन व्यतीत करें। एक तरह हम सारी जनता की खाने और कपड़े की समस्या का समाधान करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि चीन विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक है। दूसरी ओर हम लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ाते हैं। हम उपभोक्तावादी संस्कृति के पक्षधर नहीं हैं।

विदेशों की तरह यहां सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जाती। लेकिन अभी भी अखिल चीनी महिला फैडरेशन ने सौंदर्य प्रतियोगिता का विरोध किया है।

**प्रश्न : क्या चीन में भी हड़तालें होती हैं?**

**सियाओमी :** ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। यहां विदेशी पूंजी वाले उद्यमों में हड़तालें होती हैं। ये हड़ताल प्रबंधन के रुख कारण होती हैं। हम उन उद्यमों पर दबाव डाल रहे हैं कि वे चीनी ट्रेड यूनियनों कानूनों का पालन करें। हाल में चीन में एक कानून बनाया गया है जिसके अंर्तगत सभी श्रमिक विवादों का निपटारा एक समिति के माध्यम से किया जाएगा। इस समिति में ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि निदेशकों के रूप में शामिल किया गए है?

'कामकाजी महिला' ने कामरेड सियाओमी को उन्हें अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने पाठकों को महत्वपूर्ण जानकारी ही। उन्होंने 'वायस आफ वर्किंग विमन' की प्रति चाही ताकि वह भारत में कामकाजी महिलाओं के संघर्ष और उनकी स्थिति के बारे में अधिक से अधिक जान सकें।

□

# जनवादी महिला समिति द्वारा हरियाणा सरकार के विधेयक की तीव्र भर्त्सना

जनवादी महिला समिति ने हरियाणा पंचायती राज विधेयक, 1994 की आपत्तिजनक धारा का घोर विरोध किया है। इस धारा के अन्तर्गत उन महिलाओं को चुनाव के अयोग्य करार दिया गया है, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। विधेयक की सम्बन्धित धारा 175[1] [क्यू] के अनुसार "ऐसा कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सरपंच, उप-सरपंच तथा पंच या जिला परिषद एवं पंचायत समिति का सदस्य नहीं हो सकेगा जिसके दो से अधिक जीवित बच्चे होंगे।" अर्थात् दो से अधिक जीवित बच्चों के माता-पिता पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तथापि विधेयक में यह बताया गया है कि क्या यदि उसके लागू होने के एक वर्ष पश्चात् किसी निर्वाचित सदस्य के तीसरा बच्चा हो जाता है तो उस स्थिति में क्या वह सदस्य रह सकेगा या चुनाव में खड़ा हो सकेगा।

समिति की ओर से इस सम्बन्ध में जारी किये गये एक वक्तव्य में कहा गया है कि क्योंकि गरीब लोगों के ही अधिक बच्चे होते हैं और वे जीवित रहने की रणनीति के अन्तर्गत ऐसा करने पर विवश होते हैं। विधेयक के लागू होने की स्थिति में शोषित एवं पीड़ित वर्गों के लोग ही चुनाव लड़ने के अपने जनवादी अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाएं तो विशेष रूप से प्रभावित होंगी। यह सर्वविदित है कि परिवार के आकार के बारे में निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत सीमित होती है। हरियाणा जैसे राज्य में जहां लैंगिक भेदभाव तथा भ्रूण परीक्षणों के कारण लैंगिक-अनुपात देश में सबसे कम हो चुका है, ऐसे विधेयक का लागू होना अत्यंत दुखदायी बात है। ऐसी पुरुष प्रधान स्थिति में जहां महिलाओं को दो से अधिक बच्चे जनने पर विवश किया जाता हो, यह विधेयक महिलाओं के जनवादी तथा संवैधानिक अधिकारों पर हमला करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हरियाणा का विधेयक सरकार की एकतरफा जनसंख्या नीति का एक अंग है और यह अवपीड़क ढंग-तरीकों पर आधारित है जो एक ओर बड़े आकार वाले परिवारों तथा दूसरी ओर गरीबी तथा पिछड़ेपन के सम्बन्धों को दृष्टिगत कर देती है। जनवादी महिला समिति सभी राजनीतिक दलों तथा जनवादी संगठनों से अनुरोध करती है कि वे इस आपत्तिजनक धारा को वापस लेने की मांग करें। □

# चंद्रपुर में आंगनवाड़ी महिलाओं का प्रदर्शन

भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी परियोजना का निजीकरण करने के विरोध में गत 17 जून का चन्द्रनगर (महाराष्ट्र) में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सफल हड़ताल की गई। कार्यकर्ता जुलूस के रूप में जिलाधीश के कार्यालय तक गए। वे खाजगीकरण (निजीकरण) रद्द करो, आंगनवाड़ी महिलाओं को सरकारी कर्मचारियां वाला दर्जा हो, आंगनवाड़ी महिला गुलाम नहीं, मानधन नहीं पगार हो, डंकेल प्रस्ताव फैंक दो, गैट करार नहीं चलेगा, अमरीकी तानाशाही नहीं चलेगी, आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन जिंदाबाद इत्यादि नारे लगा रहीं थीं। जुलूस में 2000 से अधिक महिलाएं शामिल हुईं।

इससे पूर्व भी सी आई टी यू के नेतृत्व वाली आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की ओर से गत 20 फरवरी को चन्द्रपुर में भारी प्रदर्शन किया गया। वे 2 अक्तूबर 1992 से मानदेय में हुई वृद्धि की बकाया राशि देने, नसबंदी केस लाने की अनिवार्यता को समाप्त करने, यात्रा भत्ता तथा महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में कामरेड रमेशचन्द्र दशिवड़े के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने जिला अध्यक्ष प्रकाश मार्कवर से भेंट की तथा मांग पत्र भेंट किया। उन्होंने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस निर्णय की जानकारी तुरंत बाहर धरने पर बैठी महिलाओं को दे दी गई। एक युवा कवि संजय जादव ने इस अवसर पर जोशीले गीत गाए। धरनाकारियों को आर० पिंपलबोडे, ज्योति लोडलीवार, शशिकला बामने, शोभा भोगवर, सरला मोदी, शास्त्रीकला मेशरम तथा ताराबाई पुराबार इत्यादि नेताओं ने सम्बोधित किया।

# आंगनवाड़ी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

आंगनवाड़ी कर्मचारी 17 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनकी संयुक्त संघर्ष समिति ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन के सुझाव को स्वीकार करते हुए हड़ताल की घोषणा की थी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन की कार्यकारिणी की एक बैठक 31 मार्च 1994 को नयी दिल्ली में हुई। बैठक में भवतोष राय, बी जी नियोगी (पश्चिम बंगाल), हेमलता (आंध्र प्रदेश), सुशीला शर्मा (राजस्थान), विमल रणदिवे, नीलिमा मैत्र, नीना राव (केन्द्र) तथा रण्जीत बसु, (सी आई टी यू) ने भाग लिया। यद्यपि अनेक राज्यों के प्रतिनिधि विभिन्न कारणों से बैठक में भाग नहीं ले सके थे फिर भी इसमें हुई बहस काफी फलप्रद रही। तमिलनाडु इकाई के महासचिव का पत्र बैठक में पढ़ा गया। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया था कि वह राज्य इकाई की ओर से 17 मार्च से 17 अप्रैल तक अपनी मांगों के लिये किये जा रहे संघर्ष में व्यस्त हैं; इसलिए वह बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे।

भवतोष राय ने बैठक की अध्यक्षता की। महासचिव नीलिया मैत्र ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राजस्थान की आंगनवाड़ी कर्मचारियों की नेता सुशीला शर्मा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में काम करने से संबंधित कठिनाईयों के बारे में बताया ये कार्यकर्ता सी आइ टी यू के समर्थक हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में सी आइ टी यू की सहायता से राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिये। उस सम्मेलन में निर्णय लिया जा सकता है कि यूनियन को सी आइ टी यू या फेडरेशन दोनों में से किसके साथ संबद्ध किया जाए।

हेमलता ने राज्य में आंगनवाड़ी फेडरेशन की गतिविधियों पर अपनी रिपोर्ट देते समय बताया कि उन्होंने 17 जिलों में सघन जन अभियान चला कर दो लाख पैंतीस हजार लोगों के हस्ताक्षर कराए हैं। फेडरेशन की सदस्य संख्या भी 1994 में बढ़ कर आठ हजार पांच सौ हो जाएगी। उन्होंने निजीकरण के विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया जिसमें 3-4 हजार महिलाओं ने भाग लिया था। एक कक्षा का आयोजन किया गया। उसमें तीस महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा ईंधन खर्च तथा किराया बहुत ही कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिये। पश्चिम बंगाल की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देते हुए भवतोष राय तथा नियोगी ने बताया कि पिछले दिनों कलकत्ता तथा सिलीगुड़ी में दो जनसभाओं का आयोजन किया गया। उनमें हजारों महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने इन जन सभाओं को सम्बोधित करते हुए आश्वासन दिया था कि आई सी डी एस केन्द्रों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल आंगनवाड़ी यूनियन की ओर से निजीकरण के विरोध में जनसभाएं करने के अतिरिक्त नौ लाख हस्ताक्षर कराए गए हैं। यूनियन के कार्यकर्ता इस मुद्दे पर गांव-गांव जाकर जनमत बना रहे हैं। जनरल बाड़ी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। शिष्टमण्डल जिला अधिकारियों से मिल रहे हैं। पचीस हजार पांच सौ पोस्टर प्रकाशित करके वितरित किये जा चुके हैं।

फेडरेशन के लिये भावी कार्यों का निर्धारण किया गया। उसमें दो महत्वपूर्ण मदें शामिल की गई। एक-निजीकरण के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल करना और इसके लिये तिथि निर्धारित की गई। दूसरे अखिल भारतीय फेडरेशन के सम्मेलन का आयोजन जो इसी वर्ष किया जाना है। अनेक सदस्यों ने हड़ताल 17 जून को करने के सुझाव दिये, निर्णय लिया गया कि यह सुझाव राज्य कर्मचारियों को भेजा जाए। मई के अंत तक उनका उत्तर मिलने के पश्चात् हड़ताल की तिथि अंतिम रूप से निश्चित की जाए। हड़ताल का नारा होगा : आंगनवाड़ी संस्थाओं का निजीकरण बंद करो, फेडरेशन की दूसरी प्रमुख मांगों को भी हड़ताल के मुद्दे के रूप में उठाया जाएगा।

अखिल भारतीय सम्मेलन के संबंध में सदस्यों की ओर से तीन सुझाव दिये गए। यह मांग भी की गई कि इसके लिये महाराष्ट्र आंगनवाड़ी फेडरेशन को वरीयता दी जाए क्योंकि उसने अपना कार्यक्षेत्र राज्य के अनेक जिले में फैलाया है। दूसरा सुझाव था कि सम्मेलन पंजाब में किया जाए। अनेक सदस्यों ने इस सुझाव का समर्थन किया। तथापि अनुभव किया गया कि क्योंकि पंजाब देश के एक कोने में स्थित है, इसलिए दक्षिण के साथियों के लिये वहां जाना और काफी धन का व्यय करना सम्भव नहीं होगा। तीसरा सुझाव था कि सम्मेलन पश्चिम बंगाल में किया जाए। सभी सदस्यों ने इस पर अपना मतैक्य व्यक्त किया। अंततः निश्चित हुआ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मेल पश्चिम बंगाल में ही किया जाएगा। इस संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य समिति के साथ भी

*[शेष पृष्ठ 9 पर]*

# राजस्थान के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल

जयपुर में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स फेडरेशन के आह्वान गत 17 जून को प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निजी क्षेत्र की स्वयं सेवी संस्थाओं को देने के खिलाफ जयपुर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर में हड़ताल की गई जो पूर्णतया सफल रही।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका यूनियन के आह्वान पर जयपुर जिला कार्यालय बी-4, एम एल ए क्वार्टर से जूलूस निकला तथा वह एम आई रोड, पांच बत्ती भगवान दास रोड होता हुआ सचिवालय पर पहुंचा। जुलूस का नेतृत्व सावित्री शर्मा, सन्तोष शर्मा, सुशीला शर्मा, सरोज शर्मा, जमना देवी कर रही थी। सभा को यूनियन की अध्यक्षा श्रीमती सावित्री शर्मा, महामंत्री सुशीला शर्मा कोषाध्यक्ष सन्तोष शर्मा, जनवादी नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष बाबूलाल लुगरिया, एस एफ आई के प्रदेश महासचिव अशोक पालीवाल महिला समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती पुष्पा शर्मा ने सभा को सम्बोधित करते हुए आंगनवाड़ी को निजी क्षेत्र में देने का विरोध किया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन देने, समान काम का समान वेतन देने तथा महिलाओं पर अत्याचारों पर रोक लगाने की मांग भी की। पांच सदस्यों का शिष्ट-मण्डल मुख्यमंत्री के निजी सचिव से मिला। उसने उन्हें प्रधान मंत्री के नाम का ज्ञापन भेंट किया। शिष्ट मण्डल में बाबूलाल लुगरिया सावित्री शर्मा, सुशिला शर्मा, सन्तोष शर्मा तथा पुष्पा शर्मा थे।

ज्ञापन में कहा गया है: आंगनवाड़ी के कार्य को देश में लगभग 15 साल से चलाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत बच्चों को शिक्षा देने व महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के जैसे सामाजिक कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जाता है।

आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाएं ज्यादातर पढ़ी लिखी हैं। उनको जब नौकरी में लिया गया था तब कहा गया था कि आपको स्थायी व सरकारी कर्मचारी बना दिया जायेगा। पर आज कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया गया है। और ना ही उनको जीवनयापन करने योग्य वेतन दिया जाता है। मानदेय के नाम से मिलने वाली राशि न्यूतम चेतन से भी बहुत कम है जबकि यह कार्य सामाजिक सेवा का कार्य है। अब भारत सरकार व राज्य सरकार आंगनवाड़ी के कार्य को निजी क्षेत्र की स्वयं सेवी संस्थाओं को देने जा रही है। उसके विरोध में 17 जून को देशव्यापी हड़ताल करके विरोध दिवस मनाया गया है। हमारे जिले में भी आंगनवाड़ी सेन्टर में पूर्ण हड़ताल की गई।

हमारी मांग है कि आंगनवाड़ी के कार्य को निजी क्षेत्र में देना बन्द किया जाए,; आंगनवाड़ी में कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए; उनको मिलने वाली सभी सुविधाओं को लागू किया जाए; आंगनवाड़ी में न्यूनतम वेतन लागू किया जाए इत्यादि !" □

## हैदराबाद में आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं की जनसभा

हैदराबाद में पिछले दिनों हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विधान सभा के समक्ष समुचित बाल विकास कार्यक्रम [आई सी डी एस] का निजीकरण किये जाने के विरोध में तथा अपनी अनेक मांगों के लिए भारी जनसभा तथा प्रदर्शन का आयोजन किया। ये कार्यकर्ता जिन्हें बहुत ही कम वेतन मिलता है और इनकी मांगों की ओर उपेक्षापूर्ण रुख अपनाया जाता है, राज्य के 23 में से 18 जिलों से आई थीं। इनमें उड़ीसा की सीमा के साथ सटे श्री काकुलम तथा विजयनगरम और महाराष्ट्र के सीमावर्ती आदिलाबाद तथा निजामाबाद जिलों के कार्यकर्ता भी शामिल थे।

जनसभा देखते ही देखते धरने में परिवर्तित हो गई। धरनाकारियों को सम्बोधित करते हुए राज्य सी आई टी यू के अध्यक्ष परसा सत्यानारायणा ने कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ाने तथा उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता देने की मांग दोराई।

बाद में आंध्रप्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका यूनियन के नेताओं डाक्टर के० हेमलता, श्रीमती एस० पुण्यावती तथा अन्यों ने विधान सभा के अध्यक्ष एवं समाज कल्याण मंत्री को अपनी मांगों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन भेंट किया। मंत्री ने यूनियन के नेताओं को आश्वस्त किया कि सरकार निजीकरण का अभियान बन्द करेगी और वह वेतन वृद्धि जैसी मांग पर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। मंत्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के रिक्त स्थानों को पूरा करने की मांग पर विचार करने के लिए सहमत हो गये।

पूर्व शिक्षा मंत्री तथा तेलगूदेशम विधायक पी० इंदिरा रेड्डी ने आंदोलनकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है।

सी पी आई [एम] विधायक डी० राज गोपाल ने सदन का ध्यान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जनसभा की ओर दिलाया।

# बीड़ी मजदूरों के लिए कानून तो बहुत हैं पर उन्हें लागू नहीं किया जाता !

संसदीय समिति ने देश के श्रमिकों की कामकाजी तथा जीवन स्थितियों में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस समिति ने विशेष रूप से देश के 44 लाख बीड़ी मजदूरों की दयनीय स्थिति की जांच की है। उसने संसद के समक्ष प्रस्तुत अपनी 100वीं रिपोर्ट में स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि भारत जैसे देश में श्रमिकों के कामकाजी स्तर की ओर उदासीनता पूर्ण रुख अपनाया नहीं जा सकता। समिति ने विचार व्यक्त किया है कि भारत जिसने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अनेक घोषणाओं पर हस्ताक्षर किये हैं, में श्रमिक कल्याण के सम्बन्ध में कानूनों की बहुलता ही है, किन्तु शायद ही उन्हें कभी कार्यरूप किया जाता है।

राज्य सभा में 26 मार्च 1990 को एक सदस्य राम अवधेश सिंह ने बीड़ी मजदूरों की स्थिति के सम्बन्ध में एक याचिका प्रस्तुत की थी। उस याचिका में बीड़ी मजदूरों की कामकाजी तथा जीवन स्थितियों के बारे में अनेक समस्याओं की जानकारी दी गई थी। उन समस्याओं पर 14 राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार, बीड़ी मालिकों, ट्रेड यूनियन कार्यकताओं, तथा श्रमिकों की ओर से उपलब्ध कराए गए तथ्यों की जांच करने के पश्चात संसदीय समिति ने पाया है कि बीड़ी मजदूरों को कानूनी रूप से दिये जाने योग्य न्यूनतम वेतन का भुगतान भी नहीं किया जाता और उन्हें अत्यंत दयनीय परिस्थितियों में काम करना पड़ता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि मजदूरों में जागरूकता के अभाव के कारण ही उनका अत्यधिक शोषण होता है। 50 प्रतिशत मजदूरों के नाम मालिकों तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा पंजीकृत नहीं किये जाते जबकि कानूनी रूप से ऐसा करना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि बीड़ी उद्योग में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है और कानूनी रूप से ऐसा करना अपराध है, इस पर भी वहां भारी संख्या में बच्चे तथा महिलाएं काम करती हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गयी है कि सभी मजदूरों के नाम पंजीकृत किये जाएं तकि यह पता चल सके कि वहां काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों की संख्या कितनी है।

बीड़ी तथा सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम 1966 जिसे राज्य सरकारों द्वारा कार्यरूप दिया जाता है, बीड़ी श्रमिक कोष अधिनियम 1976 जिसे केंद्रीय सरकार ने लागू किया है, के अन्तर्गत मालिकों तथा स्थानीय शासन जैसे नगर पालिकाओं, जिला निकायों, पंचायत निकायों, प्रखंड विकास इकाईयों दोनों के लिए बीड़ी मजदूरों के रजिस्टर रखना अनिवार्य है, किन्तु "ऐसे रजिस्टर नहीं रखे जाते ।" केंद्रीय सरकार ने स्वीकार किया है कि केवल 50 प्रतिशत (23 लाख) श्रमिकों को ही पहचान पत्र दिये गए हैं। उन्हें चिकित्सा सुविधा जैसी विभिन्न सुविधाएं नहीं दी जातीं। यही कारण है कि अधिकांश श्रमिक यक्ष्मा तथा सांस की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। समिति ने सिफारिश की है कि रोग-पीड़ित श्रमिकों को चिकित्सा की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा उस पर होने वाले खर्चे के लिए कोई सीमा न रखी जाए।

चिकित्सा सुविधाओं की अत्यंत बुरी स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है : "44 लाख से अधिक बीड़ी मजदूरों के लिए देश भर में केवल 154 चिकित्सालय, एक चेस्ट क्लीनिक जो नियतिता, पश्चिमी बंगाल में है, मैसूर में एक 10 बिस्तरों वाला अस्पताल है, कर्मा, बिहार में 50 बिस्तरों वाला तपेदिक अस्पताल है। इन की स्थापना बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष के अंतर्गत की गई है।" समिति ने पाया कि अधिकांश चिकित्सालयों में तो डाक्टर ही नहीं हैं। कामकाजी महिलाएं 12 सप्ताहों के वेतन के साथ-साथ 250 रुपये प्रति डिलीवरी प्राप्त करने की अधिकारी हैं किन्तु इसे लागू ही नहीं किया जाता। प्रसूति लाभ अवकाश तथा सुविधाएं तो केवल कागजों में ही पाई जाती हैं।

# शोलापुर के 45 हजार बीड़ी मजदूरों को वर्षों लंबे संघर्ष के बाद न्याय मिला

बीड़ी मजदूरों की मांगें अंततः स्वीकार कर ली गईं। इस संबंध में 24 फरवरी, 1994 को बीड़ी कामगार यूनियन कर बंबई में सरकारी अधिकारियों का समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ता इत्यादि का भुगतान करने पर सहमत हो गए। बातचीत में यूनियन का नेतृत्व कामरेड एडम नरसय्या ने किया था।

इस से पूर्व हम शोलापुर के बीड़ी उद्योग में कार्यरत कामकाजी महिलाओं के वीरोचित संघर्ष से संबंधित रिपोर्ट 'कामकाजी महिला' में प्रकाशित कर चुके हैं। बीड़ी मालिक उन्हें 1100 की अपेक्षा 1300 बीड़ियों पर महंगाई भत्ता देने को तुले हुए थे। इससे महिलाओं को प्रति-दिन 1.75 रुपये की क्षति झेलनी पड़ती थी। मालिक प्रायः "गुला काटा" के नाम पर प्रतिदिन 25 बीड़ियों का बंडल चुरा लेते थे। नियमों के अनुसार उन्हें मकान किराया दिया जाना चाहिये किंतु मालिक उसे देने से इन्कारी थे। मालिकों की ओर से कामकाजी महिलाओं को गंदे पत्ते तथा 'कोचा' ढांगा इत्यादि जबरदस्ती दिये जाते थे। इसके कारण महिलाओं को अपने खर्च पर 1-2 किलो पत्ते खरीदने पड़ते। तीन वर्ष पूर्व सरकार के सामने उनकी मांगे रखी गईं किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। यूनियन तथा श्रमिकों ने अपना संघर्ष कभी बंद नहीं किया। वे प्रदर्शन करते रहे तथा धरने देते रहे।

मुख्यमंत्री शरद पवार ने जब 16-1-94 को शोलापुर का दौरा किया तो कामकाजी महिलाएं अपने यूनियन नेताओं के साथ मुख्यमंत्री से मिलने गईं। पुलिस ने उन्हें मुख्यमंत्री के पास जाने से रोका। जब वे नहीं रुकीं तो उन पर लाठियों से हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। इस पर भी कामकाजी महिलाओं की जुझारू भावनाएं मंद नहीं पड़ी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे मुख्यमंत्री को मिले बिना वहां से नहीं जाएगी। इस पर पुलिस ने हजारों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिलाओं में कामरेड एडम, रविंद्र मोकाशी, जफर शेख, मंगला हल्लामी, नूरजहां इत्यादि यूनियन नेता भी शामिल थे। कामरेड एडम अंततः मुख्यमंत्री से मिलने और उन्हें मांग पत्र भेंट करने में सफल हो ही गए। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह 22 फरवरी, 1994 को बंबई में बीड़ी मजदूरों के शिष्टमंडल से मिलेंगे।

यूनियन का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री के सचिव से मिला और उनसे एक घंटे तक मांगों के संबंध में बातचीत की। सरकार ने उनकी ये मांगें स्वीकार कर ली: कामकाजी महिलाओं को आठ सौ बीड़ियां बनाने पर उसके अनुरूप महंगाई भत्ता दिया जाएगा, मालिकों से कहा गया कि वे परंपरागत 25 बीड़ियों का 'गुलाकाटा' तुरंत बंद कर दें, अच्छे पत्तों तथा धागे की आपूर्ति करें, मालिकों द्वारा श्रमिकों के विरुद्ध बनाए गए तीन हजार मामले वापस ले लिये जाएं और शोलापुर में भविष्य निधि कोष का कार्यालय खोलने की अंतिम महत्वपूर्ण मांग भी सरकार ने स्वीकार कर ली। श्रमिक यह मांग वर्षों से कर रहे थे। इससे संबंधित कामों के लिये उन्हें पुणे या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था। श्रमिकों में मकान किराया भत्ता प्राप्त करके प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही। पेंशन के संबंध में सरकार ने दो मास की भीतर इस मांग पर विचार करने का निर्णय लिया। सरकार द्वारा मांगें माने जाने और प्राप्त उपलब्धियों के समाचार मिलने पर सभी श्रमिकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ये मांगें लंबे और कठिन संघर्षों के पश्चात ही मनवाई जा सकीं थीं। कामकाजी महिलाओं ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके लिये वे कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति तथा सी आइ टी यू की ओर से बधाई की पात्र हैं।

[जीवन मार्ग से अनुदित]

---

[पेज 6 से]

परामर्श किया गया। सम्मेलन से पूर्व संविधान के अनुसार जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति की बैठकें होंगी। ये बैठकें 18-19 जुलाई को नयी दिल्ली में होंगी। कोषाध्यक्ष नीना राव ने पिछले खर्चे का हिसाब पेश किया।

## संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा हड़ताल के फैसले की पुष्टि

आंगनवाड़ी महिलाओं की संयुक्त संघर्ष समिति ने 17 जून की हड़ताल करने संबंधी अखिल भारतीय फेडरेशन के निर्णय की पुष्टि की है। एच एम के पी ने भी इस हड़ताल को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। एच एम के पी की नेता जया जेटली ने इस निर्णय की घोषणा की। सभी इकाईयों से अनुभव किया गया है कि वे जहां तक संभव हो सके, हड़ताल के लिये संयुक्त कार्यक्रम बनाएं। □

# आंध्र प्रदेश बीड़ी मजदूरों की कार्यशाला

☐ डाक्टर हेम लता

आंध्र प्रदेश बीड़ी एवं सिगार श्रमिक संघ की ओर से 16–18 अप्रैल को वारंगल में बीड़ी मजदूरों के लिये एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 38 छात्रों ने भाग लिया जिनमें से 32 महिला बीड़ी श्रमिक तथा सी आइ टी यू कार्यकर्ता थीं।

16 अप्रैल के सत्र में छात्रों को कुछ समूहों में विभक्त किया गया। उन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बीड़ी मजदूरों की समस्याओं तथा उनकी दयनीय परिस्थितियों, सरकार तथा बीड़ी मालिकों के बीच संबंध तथा संगठित होने का महत्व इत्यादि विषयों की जानकारी दी गई। सभी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक इन गतिविधियों में भाग लिया। प्रत्येक गतिविधि के अंत में छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कार्यशाला के संयोजक की ओर से संक्षिप्त चर्चा की गई। कक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्रों ने अनुभव किया कि यह शिक्षा का बहुत उपयोगी ढंग है और सभी को प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने तथा तर्क देने की मेधा का विकास करना चाहिये। कार्यशाला में भाग लेने के पश्चात वे अनुभव करने लगे कि अब उनमें अपने साथी बीड़ी मजदूरों को संगठन का महत्व समझाने की क्षमता उत्पन्न हो गई है, वे अपनी मांगों के लिये बीड़ी मालिकों से संघर्ष कर सकते हैं। उन्होंने ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन राज्य के सभी जिलों में करने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की।

दूसरे दिन 17 अप्रैल को अखिल भारतीय बीड़ी श्रमिक समिति के सचिव तथा सी आई टी यू कर्नाटक राज्य समिति के महासचिव कामरेड वी जे के नायर ने कक्षा ली। उन्होंने छात्रों को बीड़ी मजदूरों से संबंधित अधिनियम पर कक्षा ली और उन सुविधाओं के संबंध में बताया जिन्हें प्राप्त करने के वे कानूनी रूप से अधिकारी है। उन्होंने कर्नाटक के साउथ कनाश जिले के बीड़ी मजदूरों द्वारा अपने वेतन मानों में वृद्धि, भविष्य निधि कोष तथा अन्य लाभों के लिये किये गए वीरोचित संघर्ष के बारे में भी बताया। उन्होंने वर्तमान कानूनों को श्रमिकों के हित में लागू कराने के संदर्भ में संगठन के महत्व पर प्रकाश डाला।

18 अप्रैल को राज्य समिति की बैठक हुई। सी आइ टी यू के अध्यक्ष कामरेड ई बालानंदन भी उसमें शामिल हुए। उन्होंने बीड़ी मजदूरों को संगठित करने के संबंध में अनेक बहुमूल्य सुझाव दिये। उन्होंने केरल बीड़ी मजदूरों के संघर्ष की चर्चा की जिन्होंने वाम मोर्चा सरकार की सहायता से उस समय औद्योगिक सहकारी सभा की स्थापना की थी जब मालिकों ने अधिक वेतन के लिये संघर्ष करने पर अपने कारखाने बंद करने की धमकी दी थी। अब "दिनेश बीड़ी मजदूर सहकारी सभा" से संबंधित मजदूर अन्य सेवा लाभों के साथ-साथ प्रति एक हजार बीड़ी पर 51 रुपये प्राप्त करते हैं। उन्होंने एक सशक्त संगठन बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया और बीड़ी मजदूरों को प्रेरणा दी कि वे अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करें। उन्होंने कहा कि सशक्त संगठन के बल पर हम सहकारी सभा की स्थापना करने के साथ-साथ मजदूरों को अच्छे वेतन देकर मालिकों को चुनौती दे सकते हैं।

राज्य समिति ने जुलाई से पूर्व यूनियन के दस हजार नए सदस्यों की भर्ती करने, 27 जुलाई को राज्य भर में बीड़ी मजदूरों का मांग दिवस मनाने तथा जनसभाओं एवं प्रदर्शनों का आयोजन करने का निर्णय लिया। बीड़ी मजदूरों की मांगों का प्रचार पेंफलेट निकाल कर, सभी क्षेत्रों में समूह बैठकों का आयोजन करके तथा पोस्टर चिपका कर किया जाएगा। वारंगल तथा आदिलाबाद जिलों में बीड़ी मजदूरों के जिला सम्मेलन तथा कक्षाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया गया।

छात्रों ने कक्षा के सुचारू प्रबंधों के लिये वारंगल जिला बीड़ी मजदूर समिति तथा जिला सी आइ टी यू का धन्यवाद किया। उन्होंने कामरेड वी जे के नायर तथा कामरेड बालानंदन का धन्यवाद भी किया जो बंगलौर से दिल्ली जाते समय वारंगल में रुके और राज्य बीड़ी मजदूर यूनियन को सशक्त बनाने में अपना योगदान डाला।

☐

# चीन में विश्व महिला कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से जारी

चीन में इन दिनों विश्व महिला कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। यह कांग्रेस अगले वर्ष बीजिंग में होगी। एफ डब्ल्यू डब्ल्यू सी की चीनी संगठन समिति की उपाध्यक्ष तथा राज्य परिषद की उप महासचिव सू जीजियान ने पत्रकारों को बताया कि चीन सरकार तथा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नेता इस कांग्रेस की तैयारियों को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं।

हू जिन ताओ, चेन सिटोंग, सियान सिचेन, चेन मुहूआ तथा पेंग पीयून जैसे नेता नियमित रूप में कांग्रेस की तैयारियों में जुटी संगठन समिति से प्रगति रिपोर्ट मांगते हैं। चीन कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के पोलिट ब्यूरो की स्थायी समिति के एक सदस्य हू जिन ताओ जो केन्द्रीय सचिवालय के सदस्य भी हैं, ने प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् कहा है कि इस कांग्रेस की तैयारियों को और तेज करने की आवश्यकता है।

उप प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री सियान सियेन ने कहा है कि इस कांग्रेस का आयोजन करके चीन विश्व को बता देगा कि अपनी अर्थ व्यवस्था में सुधार करके वह सामाजिक समृद्धि प्राप्त की है।

बीजिंग नगर पालिका में पार्टी इकाई के सचिव सिटोंग ने कहा है कि शहर की ओर से कांग्रेस की तैयारियां अच्छे ढंग से की जाएगी ताकि कांग्रेस सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सके। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति की सदस्य चेन मुहूआ ने देश भर की महिलाओं को आह्वान किया है कि वे इस कांग्रेस की सफलता के लिये भगीरथ प्रयास करें। चेन मुहूआ अखिल चीनी महिला फेडरेशन की अध्यक्षा भी हैं। कामरेड सू के अनुसार कांग्रेस में लगभग 2, विदेशी प्रतिनिधियों के भाग लेने की सम्भावना है।

कांग्रेस के लिये प्रमुख स्थलों का चुनाव कर लिया गया है। उनमें दसियों हजार लोगों को ठहराया जा सकता है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों तथा रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उनमें से कुछ दस्तावेज समय से पूर्व ही तैयार कर लिये गए हैं। इसके लिए जन अभियान भी चलाया जा रहा है। 2, से अधिक प्रतिनिधियों को ठहराने के लिये सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण होटलों में 12, कमरे आरक्षित करा लिये गए हैं।

विश्व महिला फेडरेशन की महासचिव जेरटुडे मोंगेला तथा उनके सहयोगियों ने प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया है। 28 प्रदेशों स्वायत्तशासी क्षेत्रों या शहरों की लगभग 300 महिलाओं को कांग्रेस कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें एक हजार सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं।

## एल आई सी कामकाजी महिलाओं का सम्मेलन

एल आई सी कामकाजी महिलाओं का चतुर्थ सम्मेलन 6 मार्च 1994 को थंजावुर (तमिलनाडु) में हुआ। इसका आयोजन बीमा निगम कर्मचारी संघ थंजावुर मंडल की ओर से किया गया था। सम्मेलन की कार्रवाई का संचालन कामरेड सोलाई सेलवाराज, एन कन्नामल तथा माहेश्वरी पाण्डियन पर आधारित अध्यक्ष मण्डल ने किया। थंजावुर नगाई क्वाई-डी-मिलाथ, त्रिची एवं पुडुकोटाई जिलों के 175 से अधिक प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए। कामरेड के लक्ष्मणन ने परिचयात्मक भाषण दिया जबकि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सह सचिव कामरेड यू वासुकी ने जनसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने बताया कि सामाजिक रूप से किस प्रकार महिलाओं का उत्पीड़न एवं दैहिक शोषण किया जाता है। उन्होंने महिलाओं में जागरूकता लाने पर बल देते हुए कहा कि महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर उत्पीड़न एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने एल आई सी की कामकाजी महिलाओं से अनुरोध किया कि वे संघर्ष के लिए आगे आएं।

कामकाजी महिलाओं की समन्वयक समिति की ओर से श्रीमती कन्नामल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। सम्मेलन में महिलाओं के लिए विशेष बसें चलाने, कार्यालयों में शिशु पालन गृह तथा समुचित शौचालयों का प्रबंध करने, कामकाजी महिलाओं के होस्टल, दोपहर के खाने और आराम करने के कक्ष की व्यवस्था करने से सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किये गए। एल आई सी प्रबंधन से दर्जा चार में महिला कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक हटाने की मांग की गई। अंत में एक 9 सदस्यीय समन्वयक समिति का गठन किया गया। कामरेड एस आर कृष्णमूर्ति को महासचिव चुन लिया गया।

# कामरेड रेणु नहीं रहीं

□ विमल रणदिवे

कामरेड रेणु अब इस दुनिया में नहीं रहीं। वह गत 18 अप्रैल को हमसे सदा के लिए बिछुड़ गईं। यह समाचार हम सभी के लिए त्रासदपूर्ण है। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि वह मुस्कराहट और जीवंत आवाज हमसे छिन सकती है.

हम दोनों पार्टी महिला आंदोलन में साथ-साथ कार्य करती रही हैं।

यद्यपि उनकी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई थी फिर भी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहानुभूति थी। विदेश से लौटने के बाद वह महिला आंदोलनों और अन्य गतिविधियों में कूद पड़ी.

1967 में वह पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए चुनी गईं। उन्हें राज्य की पहली वाम मोर्चा सरकार में मंत्री बनाया गया। अपने राजनीतिक जीवन में वह दो बार संसद की सदस्य चुनी गईं। उनके भाषण और अन्य वक्ताओं के भाषणों में उनका हस्तक्षेप अत्यंत विद्वतापूर्व और विषय-परक होता था.

कामरेड निखिल और उनके पुत्र सुमित वाम आंदोलनों एवं अच्छे लेखकों के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं।

अनेक अवसरों पर का० निखिल ने लेख, तथा समाचार विश्लेषण लिखे। उनका यह कार्य आज तक जारी है। कामरेड रेणु पहले आत्मरक्षा समिति और पश्चिम बंगाल महिला समिति के साथ जुड़ी रहीं। वह भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय फैडरेशन की सक्रिय सदस्या भी रहीं। पश्चिमी बंगाल के जन अभियानों जैसे बंगाल के भयानक अकाल व 'तेभागे' आंदोलनों में रेणु ने महिला समिति और पार्टी की ओर से सक्रिय भाग लिया। और कार्य भी किया।

उनके निधन से कम्यनिस्ट पार्टी और महिला आंदोलनों को भारी क्षति पहुंची है जिसे पूरा करना असंभव होगा।

सी आइ टी यू और कामकाजी महिलाओं का. अखिल भारतीय समन्वय समिति की ओर से मैं का रेणु को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और कामरेड निखिल व सुमित अन्य परिवारजनों के साथ अपनी गहरी संवेदन व्यक्त करती हूं।

# हरियाणा के तीन जिलों में आंगनवाड़ी महिलाओं के प्रदर्शन

हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की ओर से निजीकरण के विरोध में गत 17 जून को रोहतक, रेवाड़ी तथा जींद जिलों में पूर्ण हड़ताल की गई।

रोहतक में आंगनवाड़ी वर्कर एवं हैल्पर यूनियन की जिला समिति के तत्वावधान में एक भारी जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें आठ हजार से अधिक आंगनवाड़ी महिलाओं ने भाग लिया। यह जनसभा छोटू राम पार्क में हुई। इसमें रेणु मलिक, वेद प्रभा, राज कुमारी, उर्मिला देवी के अतिरिक्त जिला संयोजक सरोज वासिष्ठ, सी आइ टी यू हरियाणा के कोषाध्यक्ष राम चन्द्र सिवाय, हरियाणा सी आइ टी यू सचिव सतबीर सिंह इत्यादि नेताओं ने सम्बोधित किया।

बी एन एस की ओर से जनसभा को भंग करने तथा महिलाओं को उनके नेतृत्व के विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया गया। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने उनकी सभी चालों को नाकाम बना दिया। जनसभा के पश्चात् शहर में जुलूस निकाला गया जो जिलाधीश कार्यालय में जाकर समाप्त हो गया। कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि उन्हें जे बी टी अध्यापकों के समान वेतन दिया जाए, उनकी सेवाएं नियमित की जाएं और सहायिकाओं को दस हजार पचास रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए इत्यादि। उन्होंने जिलाधीश को मांग पत्र भी भेंट किया।

रेवाड़ी में आंगनवाड़ी महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। ये महिलाएं जुलूस के रूप में जिलाधीश कार्यालय तक गईं जहां उन्होंने अपना मांग पत्र में भेंट किया।

जींद के सफीदों प्रखण्ड में नब्बे आंगनवाड़ी महिलाओं ने जुलूस निकाला और जिलाधीश को मांग पत्र दिया।

# उनकी बला से

**अशोक वासिष्ठ**

सच को सच कहना, अनेक अर्थों में साहसिक काम होता है। विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब चंद्र और साम्प्रदायिकता, जातीयता और मूलवाद का दौर-दौरा हो, तो यह काम जोखिम भरा भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में निहित स्वार्थी तत्व समाज की मेधा को जकड़ने का प्रयास करते हैं। वे चाहते हैं कि आप वही बोलें, वही लिखें या वैसे ही कार्य का प्रदर्शन करें जिससे उनके स्वार्थों को चोट न पहुंचे और उनकी दुकानदारी बेरोक-टोक चलती रहे। आपसे कुछ विशेष एवं निश्चित अंदाज में ही बात करने की अपेक्षा रखी जाती है।

तसलीमा नसरीन ने भी कुछ ऐसा ही जघन्य अपराध कर डाला है। इसके लिये उसे 'सजाए मौत' जैसे फतवे दिये जाने लगे हैं। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले ढाका की गलियों तथा बाजारों की खाक छान रहे हैं। परिणामस्वरूप उसे अपने ही घर में जिसे वह अपना वतन मानती है, निर्वासन झेलना पड़ रहा है। उसे गिरफ्तारी से बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान का सहारा लेना पड़ रहा है। और जब देश की कठमुल्लावादी शक्तियों ने उसके जीवन को और दूभर बना डाला तो उसे विवश होकर शरण लेने के लिये अमरीका के द्वार खटखटाने पड़ रहे हैं।

बंगला देश जैसे देश में जहां कठमुल्लावादी शक्तियों का बर्चस्व हो, वहां और किसी बात की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। वे तो अपने मुखारविंदु से निकले प्रत्येक शब्द को कानून मानते हैं और बेचारी तसलीमा ने उसी कानून का उल्लंघन किया! क्या गुनाह कर डाला। सच, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है कि सच को सच कहना साहसिक कार्य होता है। तसलीमा ने भी अपने उपन्यास 'लज्जा' में सच ही तो लिखा था। जब बहुसंख्यक सम्प्रदाय सभी नियमों और मर्यादाओं को ताक पर रख देता है तो अल्प संख्यक वर्ग की जो त्रासदपूर्ण स्थिति बन जाती है। भारत में भी हम 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के पश्चात् ऐसी भयावह स्थिति देख चुके हैं। बम्बई तथा देश के अन्य भागों में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की जिस प्रकार जघन्य हत्याएं की गईं उनके घर लूटे गए या जला दिये गए, उनके कारोबार समाप्त किये गए, उनकी बच्चियों, बहनों तथा बहुओं के साथ दुर्व्यवहार व लैंगिक उत्पीड़न किया गया ठीक ऐसा ही काम बंगला देश के बहुसंख्यक वर्ग ने भी उन दिनों किया था। किन्तु हमारी तथा तसलीमा नसरीन की स्थिति में एक अन्तर अवश्य है। भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां किसी भी धर्म को राजधर्म का दर्जा नहीं दिया गया। हमें नास्तिक होने का भी अधिकार है! बात-बात पर हमें धर्म ग्रंथों का अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस होने पर जिन बुद्धिजीवियों, कलाकारों, साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संघ परिवार की खाट खड़ी कर दी थी, उनमें अधिकांश बहुसंख्यक वर्ग के ही थे। हमारा संघर्ष अपेक्षाकृत सहज था। तसलीमा के मामले में स्थिति अलग ही थी। वह एक ऐसे देश की नागरिक है जहां बहुसंख्यक वर्ग का धर्म ही राजधर्म है और वहां प्रत्येक बात की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिये विशेष धर्म ग्रंथ का सहारा लेना पड़ता है। 'एक करेला-दूसरा नीम चढ़ा' वाली बात हो गई न! जब तसलीमा ने ढाका में अल्पसंख्यक वर्ग के कष्टों को अपनी कलम के माध्यम से व्यक्त किया तो वहां के मठाधीश, कूपमंडूक एवं कठमुल्लावादी भला कैसे सहन कर सकते थे।

विस्मय तो इस बात का है (शायद होना ही नहीं चाहिये) कि संघ परिवार जो 'लज्जा' उपन्यास पढ़कर गद्-गद् हो उठा था, उससे राजनीतिक लाभ उठाने के लिये भी उसने कोई कोर कसर शेष नहीं रखी और ढाका के अल्प संख्यक वर्ग पर हुए अत्याचारों की दास्तान सुन कर टसुए बहा रहा है, को बम्बई के अपने दो हजार से अधिक मुसलमान भाईयों की पीड़ा की अनुभूति क्यों नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में जिन मुसलमान परिवारों पर जघन्य अत्यावार किये गए हैं, उनके प्रति सहानुभूति उसके हृदय में क्यों नहीं उपजी। ठीक ऐसे ही प्रश्न बंगला देश के बहुसंख्यक वर्ग से पूछे जा सकते हैं। उसे बम्बई या भारत के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों का गम तो है किन्तु ठीक उनकी नाक के नीचे रहने वाले ढाका के अपने हिन्दू भाईयों की दुदर्शा देख कर उनका दिल पसीज क्यों नहीं गया। दोनों अपनी-अपनी दुकानदारी को चमकाने में लगे हैं। जनता जाए भाड़ में, उनकी बला से। तसलीमा नसरीन का नवीनतम प्रकरण इसी तथ्य को उजागर करता है। □

# जापान में कामकाजी महिलाओं के साथ भेदभाव की दास्तान

अमरीकी साम्राज्यवादी तथा उनके गुर्गे मानवाधिकारों की भले ही कितनी दुहाई क्यों न दें किन्तु वास्तविकता तो यह है कि मानवाधिकारों की सर्वाधिक खराब स्थिति इन्हीं देशों में है। उन देशों में न तो काम की गारंटी होती है और न ही सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। यदि हम इन देशों को महिलाओं तथा विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के प्रति पक्षपात करने वाले तंत्र कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

जापान में कामकाजी महिलाओं की स्थिति कुछ ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करती है। जापान एक विकसित देश है। यही नहीं उसकी गणना इस समय सर्वाधिक समृद्ध देशों में की जाती है। ऐसे देश तथा उसके शासन तंत्र से अपेक्षा की जा सकती है कि वहां महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार होता होगा। कम से कम उन्हें वैसी भीषण एवं अपमान जनक स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता होगा। जिनसे विकासशील देशों की महिलाएं जूझ रही हैं। वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है।

जापान में सरकारी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि देश की निजी कम्पनियां अर्थव्यवस्था में निरंतर मंदे की स्थिति में हैं। वे विशाल स्तर पर महिलाओं को रोजगार देने से इन्कार कर रही हैं। कहने को तो आठ वर्ष पूर्व महिलाओं को रोजगार के समान अवसर कानून द्वारा प्रदान किये गए थे। इस पर भी कार्य स्थलों पर कामकाजी महिलाओं के साथ भारी भेदभाव किया जाता है। पिछले चार वर्षों से उदारीकरण-निजीकरण की हवा चलने के कारण इस भेदभाव में भारी वृद्धि हुई है। अनेक कम्पनियां अब खुले रूप में महिलाओं को काम पर रखने से इन्कार कर रही हैं।

न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को सबसे अंत में काम पर रखा जाता है किन्तु काम से बाहर निकालने के मामले में उनका नंबर पहले आ जाता है। पिछले वर्ष के अंत में श्रम मंत्रालय द्वारा एक हजार कम्पनियों का सर्वेक्षण कराया गया था। उस सर्वेक्षण के अनुसार आधी कम्पनियां महिलाओं को काम से हटा रही हैं ओर उनके स्थान पर युवा छात्रों को भर्ती किया जा रहा है क्योंकि उनके अधिक लम्बे समय तक काम पर बने रहने की सम्भावना होती है। इसके पश्चात् जापान के उद्योग मंत्री इजीरो हाता ने बड़ी कम्पनियों के प्रबंधकों की एक बैठक बुलाई। अन्य बातों के अतिरिक्त इजीरो ने उनसे निवेदन किया कि वे अपनी कम्पनियों में कामकाजी महिलाओं के साथ पक्षपात न करें।

अभी इजीरो के विनम्र निवेदन की 'गूंज' समाप्त ही नहीं हुई थी कि पिछले मास के शुरू में ही जापानी जीवन बीमा निगम कम्पनी ने घोषणा कर दी की वह इस वर्ष कलर्कों की असामियों पर किसी महिला को भर्ती नहीं करगी। यह कम्पनी प्रति वर्ष 600-700 महिलाओं की सेवाएं प्राप्त करती है। दो अन्य बीमा कम्पनियां तथा एक अन्य बड़ी कम्पनी मितसुबिशी कार्पोरेशन ने भी इसी पथ का अनुसरण करने की घोषणा कर दी। उनमें अगले वर्ष से किसी महिला को काम पर नहीं रखा जाएगा। जापान एयर लाइन्स तथा आल निपन एयर लाइन्स ने भी अगले वर्ष से विमान परिचारिकाओं की भर्ती न करने का निर्णय किया है। वहां पुरुष कर्मचारियों की भर्ती निरंतर जारी है।

कामकाजी महिलाओं के साथ पदोन्नतियां देने के मामले में भी भेदभाव होता है। हाल ही में सुमितोओं समूह के साथ सम्बन्धित कम्पनियों में कार्यरत महिलाओं के एक दल ने शिकायत करते हुए पुरुष तथा महिला कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन का विवरण देने की मांग की है। न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन महिलाओं को शिकायत है कि 25 वर्ष का अनुभव रखने वाली महिला को अपने पुरुष सहयोगी जिसका अनुभव भी उतना ही होता है, की अपेक्षा आधा वेतन मिलता है। यही नहीं चालीस वर्ष से अधिक आयु की महिला को शायद ही पदोन्नति मिलती हो जबकि कुछ वर्षों का अनुभव रखने वाला उसका पुरुष सहयोगी उससे आगे निकल जाता है।

जापानी कम्पनियां केवल काम या पदोन्नतियां देने के मामले में ही कामकाजी महिलाओं के साथ पक्षपात नहीं करतीं, अपितु वे

सुनियोजित ढंग से उनके विरुद्ध अभियान भी चलाती रहती हैं। जो महिलाएं महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं, उन्हें भी उनकी योग्यता के अनुरूप पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता। छात्राओं की शिकायत है कि जहां छात्रों के स्नातक बनने से पूर्व ही कम्पनियों द्वारा उनके साथ सम्पर्क स्थापित कर लिया जाता है और छात्राओं को पूछा तक नहीं जाता। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार 75 प्रतिशत महिला स्नातकों को रोजगार मिला । रोजगार पाने वाले पुरुषों की संख्या 92 प्रतिशत है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आंकड़ों में तो बड़ी सुन्दर तस्वीर खींची गई है, किन्तु वास्तविकता तो यह है कि रोजगार पर लगीं अनेक महिलाओं को भी उनकी योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिला है।

# स्वास्थ्य निदेशकों का अनिश्चित कालीन अनशन शुरू

ग्रामीण स्वास्थ्य निदेशक एसोसिएशन के स्वयं सेवकों ने गत 27 अप्रैल को अपनी मांगों के पक्ष में जन्तर मन्तर नयी दिल्ली, में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। यह योजना 1977 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री राजनारायण ने शुरू की थी। इसके अन्तर्गत 50,00,000 स्वास्थ्य निदेशक देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। जब इस योजना को शुरू किया गया था, तब इसके स्वयं सेवकों को 50 रुपये प्रति मास मानदेय दिया जाता था। उन्हें दवाइयों का थैला उपलब्ध कराया जाता था जो गांव वासियों में वितरित करना होता था।

इस सम्बन्ध में एसोसिएशन की ओर से जारी एक वक्तव्य में बताया गया है कि इसके स्वयं सेवक पिछले 10 वर्षों से अपने मानदेय में वृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों तथा पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी सम्पर्क किया, किन्तु इस पर भी उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आखिर, उन्हें अनिश्चितकालीन आमरण अनशन रखने पर विवश होना पड़ा है।

स्वयं सेवक मानदेय में वृद्धि के साथ-साथ यात्रा भत्ता, वर्दी तथा वस्त्र धुलाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं।

# हरियाणा में भट्ठा मालिकों का कामकाजी महिलाओं से अन्याय

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय जनवादी मीहला समिति की हरियाणा शाखा की ओर से गत 17 अप्रैल को एक शिष्टमण्डल ने कांग्रेस भवन में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल से भेंट की तथा उन्हें भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं की मांगों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन भेंट किया। शिष्टमण्डल ने हरियाणा में भट्ठा मालिकों द्वारा मजदूरों तथा कामकाजी महिलाओं के साथ किये जा रहे अन्याय एवं अत्याचारों की जानकारी दी।

कामकाजी महिलाओं ने इस सम्बन्ध में चण्डीगढ़ में श्रम आयुक्त कार्यालय के समक्ष भी 22 अप्रैल को धरना दिया है।

पिछले मास सी आई टी यू राज्य समिति की बैठक हुई जिसमें आंगनवाड़ी यूनियन बनाने और सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय किया गया।

# पांडिचेरी में सांकेतिक हड़ताल

पांडिचेरी स्टेट आंगनवाड़ी स्टाफ एसोसिएशन की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन के आह्वान पर 17 जून को एक दिन की सांकेतक हड़ताल की गई।

इससे पूर्व यूनियन की राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक दस जून को हुई जिसमें हड़ताल के आह्वान पर विचार किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से हड़ताल के निर्णय का पालन करने का फैसला किया गया। वे आंगनवाड़ी कार्यक्रम को निजी क्षेत्र के गैर सरकारी संगठनों के हवाले न करने, आंगनवाड़ी महिलाओं को सरकारी कर्मचारियों के समान दर्जा तथा वेतन देने की मांग कर रहे थे।

*[पेज दो से]*

हैं, आईये हम एकजुट हों। और ऊंचे तथा स्पष्ट स्वर में विश्व को यह संदेश दें कि मुट्ठी भर हत्यारे हमें अपने लक्ष्य से डगमगा नहीं सकते और हम अपने लोकतंत्र का सुदृढ़ बनाएंगे।''

## ध्वज फहराया गया

मतदाताओं की जबरदस्त भावनाओं को विभिन्न प्रैस रिपोर्टों के आधार पर रेखांकित किया जा सकता है: ''मैं निर्वाचित हो गई हूं, मैं मारे खुशी के चिल्लाऊंगी!'' इंग्लैंड की एक नर्स लंदन में मतदान करते समय अत्यंत भावुक सी हो गई थी। उसने 31 वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका छोड़ा था। देश भर में कुछ लोगों को पुलिस थानों में ले गई। कुछ लोग भयानक गर्मी में पंक्तियों में खड़े-खड़े मूर्छित होकर गिर पड़े। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के लिये मतदान करने की उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी वे इस भयावह अनुभव से गुजरने में सफल हो ही गए। हमने अपना गौरव, अपनी शान को पुन: पा लिया है। हम भी मनुष्य हैं। सर्वप्रथम मतदान करने वाली नेलसन मंडेला की भतीजी ने ऐसी ही भावनाओं को व्यक्त किया था। इसका अर्थ है दक्षिण अफ्रीका के प्रत्येक व्यक्ति के गौरव की पुनर्स्थापना...यह अनुभूति कि कम से कम तीन शताब्दियों के पश्चात् अब हम मुक्त हुए हैं। श्वेत शासन समाप्त होने के पश्चात् नेलसन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में उभर कर सामने आए हैं! भोर के समय अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का नया ध्वज फहराया गया। श्वेत शासन के दमन के प्रतीक पुराने ध्वज को उतार दिया गया। इसके साथ ही रंगभेद विरोधी गीत के स्वर पूरे वातावरण में गूंज उठे।

## शार्पविले नर संहार के हजारों शहीद

दक्षिणी अफ्रीका की जनता ने कितने भारी बलिदान किये हैं; कितने हजार देश भक्तों ने अपने प्राणों की आहूति दी थी; पुलिस की नृशंस गोलीबारी में कितने लोग मारे गए थे। शार्पविले का जघन्य हत्याकांड जब 69 व्यक्तियों को गोलियों से भून डाला गया था और वे असमय काल का ग्रास बनने को विवश हुए थे, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उनका कसूर क्या था? उन्होंने अमानवीय कानूनों का विरोध किया था। क्या इन सभी दुर्घटनाओं, अपमान एवं तिरस्कार को भुलाया जा सकता है? क्या वे 1976 में सोवियत छात्रों द्वारा किये गए विरोध प्रदर्शन को भूल सकते हैं, जिनका पुलिस ने नृशंसतापूर्ण ढंग से दमन किया था, और उस समय 575 छात्र मारे गए थे।

क्वामें नकसमल,पैट्रिक लुमुम्बा तथा जूलियस नायरेरे जैसे समकालीन नेता इस अवधि के दौरान विच्छोह दे गए। नेलसन मंडेला कैदी नंबर 466-64 रोबिन द्वीप की जेल से 27 वर्षों के पश्चात् रिहा हुए। उन्होंने रंगभेदी व्यवस्था के विरोध में संघर्ष करते हुए अनेक कष्ट झेले हैं। जेल से रिहा होकर जब वह बाहर निकले थे, क्या शानदार स्वागत किया गया था उनका। पूरे दक्षिण अफ्रीका की जनता ने उन्हें आंखों पर बिठा लिया था।

अन्तत: जनता के लम्बे एवं कष्टप्रद संघर्षों का अंत हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तथा लोकतांत्रिक भावनाओं की विजय हुई। देर से ही सही, आखिर 2 दिसम्बर 1991 को नेलसन मंडेला रिहा हुए, अश्वेत विपत से प्रतिबंध हटाया गया और बातचीत शुरू हुई। इन घटनाओं के दृष्टिगत डी क्लार्क के समक्ष और कोई विकल्प भी तो नहीं था। उन्हें खुले रूप में स्वीकार करना पड़ा कि इस समय दक्षिण अफ्रीका के आगे और कोई विकल्प नहीं है। हम पूर्ण टकराव के मार्ग पर चल रहे हैं। इससे इस देश में सर्वनाश हो जाएगा जिसका निर्माण हमने कठोर परिश्रम से किया है। नेलसन मंडेला ने इसका प्रत्युत्तर दिया और इस प्रकार दोनों पक्षों में वार्ता आरम्भ हो गई।

1994 का मई दिवस इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन नेलसन मंडेला के कदम राष्ट्रपति पद की ओर बढ़े थे। इस दिन को देखने को देखने के लिए सर्वसाधारण ने महिलाओं तथा पुरुषों ने अपार बलिदान दिये हैं। उनका संघर्ष सफल हो गया। उन्हें सफलता मिली और उनका अपना ध्वज फहराया गया। रंगभेदी व्यवस्था को जारी रखने के लिए अनेक गुटों द्वारा गद्दारी की गई। इस पर भी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को विजय श्री प्राप्त हुई। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रगतिशील लोकतांत्रिक दलों तथा अन्य समूहों पर इस लोकतंत्र को बनाए रखने का भारी उत्तरदायित्व आन पड़ा है। वे जनता की सेवा करें और श्वेत तथा अश्वेत जनता की एकता को बनाए रखें।

नेलशन मंडेला तथा अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस अमर रहे।